

FORM NO.111

फर्द अहकाम

(नियम 26)




न्यायालय उपखण्ड अधिकारी श्रीमाधोपुर (सीकर)

सुवालाल वगै० बनाम भूसाराम वगै०

किरम मुकदमा- इजराय

मुकदमा नम्बर:-33/2022

887
29/08/22

तारीख हुकम	हुकम या कार्यवाही गय लघु हस्ताक्षर जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुकम की तालीम में जारी हुये
12.10.2022	<p>वकील डिक्रीदार श्री हणमान राम सामोता एड० ने उपस्थित होकर इजराय प्रार्थना पत्र पेश किया। इजराय दर्ज रजिस्टर की जावें। न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 03.08.2022 की पालना में भौतिक कब्जा सम्भलाये जाने हेतु (यदि प्रकरण में किसी अन्य न्यायालय का स्थगन आदेश आदि नहीं हो तो) तहसीलदार श्रीमाधोपुर को तहरीर आदेश जारी किया जावें। वास्ते प्राप्त होने पालना रिपोर्ट पत्रावली दिनांक 11.11.2022 को पेश हो।</p> <p> दिलीप सिंह उपखण्ड अधिकारी, श्रीमाधोपुर</p>	
02.09.2024	<p>पत्रावली तारीख पेशी से गिरकर आज पेश हुई। वकील डिक्रीदार उपस्थित। प्रकरण में कार्यालय हाजा के श्री साँवरमल यादव भू. अभिलेख निरीक्षक ने अवगत कराया कि ऑनलाईन मिलान करने पर इस न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिक्री की पालना तहसीलदार श्रीमाधोपुर के द्वारा जरिये नामान्तकरण संख्या 887 दिनांक 29.08.2022 के द्वारा राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद हो चुका है। प्रकरण में आगे कोई कार्यवाही अपेक्षित नहीं है। अतः इजराय पत्रावली को इसी स्तर पर खारीज की जाकर फैसल की जाती है। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफतर हो।</p> <p> (अनिल कुमार) उपखण्ड अधिकारी श्रीमाधोपुर (नीमकाथाना)</p>	<p>अनिल कुमार मिश्रा क्रिया शमा। आदेश की पालना। ना.सं 887 दि. 29-8.22  गुल</p>